अनुक्रमणिका

खंड ए: सामान्य

ए. 1 प्रस्तावना

ए. 2 सांविधिक आधार

ए. 3 निषेध

ए. 4 सामान्य अनुमति

खंड बी : भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

बी. 1 स्वतः अनुमोदित (स्वचालित) मार्ग

बी. 2 स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत, अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश

बी .3 निधीयन की विधि

बी. 4 निर्यातों और अन्य देयताओं का पूंजीकरण

बी. 5 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश

बी. 6 विदेश में पंजीकृत कंपनियों के ईक्विटी/ रेटेड कर्ज लिखतों में निवेश

बी. 7 रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

बी. 8 ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश

बी. 9 स्वामित्ववाली (proprietorship) कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

बी. 10 पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाईटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश

बी. 11 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश

बी. 12 ऐसी समुद्रपारीय संस्था (ओवरसीज इंटिटी) के तुलन पत्र को पुन: संतुलित (रिस्ट्रक्चर) करना, जहाँ पूंजी तथा प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालना शामिल हो

बी. 13 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अधिग्रहण(acquisition)

बी. 14 भारतीय पार्टी के दायित्व

बी. 15 संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों के शेयरों का बिक्री के मार्फत अंतरण

बी. 16 संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयरों का बिक्री के मार्फत अंतरण जिसमें निवेश को बट्टे खाते डालना निहित हो

बी. 17 संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के शेयर गिरवी रखना

बी. 18 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेज़िंग

बी. 19 निवासी व्यक्तियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

बी. 20 गारंटियों का रोलओवर

खंड सी: विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

सी. 1 कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/उनके अधिग्रहण की अनुमति

सी. 2 भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति गिरवी रखना

सी. 3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

सी. 4 निवासी बैंक द्वारा स्विफ्ट के शेयरों का अर्जन

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

1. नामित शाखाएं
2. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के तहत निवेश
3. सामान्य क्रियाविधिक अनुदेश
4. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश
5. विशिष्ट पहचान संख्या का आबंटन
6. शेयर स्वैप के माध्यम से निवेश
7. 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के तहत निवेश
8. स्टाक ऑप्शन योजना से संबद्ध एडीआर/जीडीआर के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद
9. बयाना राशि जमा अथवा बोली बांड गारंटी जारी करने के लिए विप्रेषण
10. भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों के शेयरों का बिक्री के माध्यम से अंतरण
11. निवेश के सबूत का सत्यापन
12. भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलना

संलग्नक -ए

संलग्नक -बी

संलग्नक -सी

संलग्नक -डी

परिशिष्ट

भाग- I

खंड-ए सामान्य

ए -1 प्रस्तावना

(1) भारतीय उद्यमियों द्वारा संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में समुद्रपारीय निवेशों की वैश्विक व्यापार के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में पहचान की गई है। संयुक्त उद्यमों को भारत और अन्य देशों के बीच आर्थिक और कारोबारी सहयोग के माध्यम के रूप में समझा जाता है। ऐसे विदेशी निवेशों से उत्पन्न अन्य उल्लेखनीय लाभों में प्रौद्योगिकी और कुशलता का अंतरण, अनुसंधान और विकास के परिणामों को आपस में बांटना, व्यापक विश्व बाजार तक पहुंच, ब्रांड छवि का संवर्धन, रोजगारों का सृजन और भारत में तथा मेजबान देश में उपलब्ध कच्चे मालों का उपयोग आदि शामिल है। वे भारत से संयंत्र और मशीनरी और माल के बढ़े हुए निर्यात के माध्यम से विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण संचालक भी हैं तथा ऐसे निवेशों पर लाभांश अर्जन, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क और अन्य हकदारी के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जन के स्रोत भी हैं।

(2) उदारीकरण की भावना के साथ सामंजस्य रखते हुए, जो सामान्य रूप से आर्थिक नीति और विशेष रूप से विदेशी मुद्रा नियंत्रण का प्रतीक बना है, रिज़र्व बैंक द्वारा चालू खाते के साथ ही साथ पूंजी खाते संबंधी लेनदेनों, दोनों, के लिए तत्संबंधी नियमों में उत्तरोत्तर रियायतें दी गई हैं और क्रियाविधि को सरल बनाया गया है।

ए.2 सांविधिक आधार

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6, भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक को पूँजी खाता लेनदेनों के स्वीकार्य वर्गों और ऐसे लेनदेनों के लिए किस सीमा तक विदेशी मुद्रा स्वीकार्य होनी चाहिए उसके बारे में विशिष्ट निर्देश करने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 6(3) रिज़र्व बैंक को विनियम तैयार करते हुए इस उप धारा के उप-खण्डों में उल्लिखित विविध लेनदेनों को निषिद्ध, प्रतिबंधित, या नियंत्रित करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है।

(2) उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फेमा.19/आरबी-2000 और बाद में उसमें हुए संशोधनों को अधिक्रमित करते हुए 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/ आरबी-2004[1] के जरिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 जारी की है। यह अधिसूचना, भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी प्रतिभूति के अधिग्रहण और अंतरण, अर्थात विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश, साथ ही भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर जारी शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश को नियंत्रित करती है। समुद्रपारीय निवेश दो मार्गों अर्थात (i) पैराग्राफ बी-1 में यथा उल्लिखित स्वचालित (स्वत: अनुमोदित) मार्ग, (ii) पैराग्राफ बी-7 में यथा उल्लिखित अनुमोदित मार्ग के जरिये किये जा सकते हैं।

ए.3 निषेध

भारतीय पार्टियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना स्थावर संपदा कारोबार {स्थावर संपदा का अर्थ है हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का क्रय-विक्रय अथवा उनका सौदा करना किंतु इसमें नगर-क्षेत्र, रिहायशी/व्यावसायिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण शामिल नहीं है} अथवा बैंकिंग कारोबार में लगी हुई किसी विदेशी कंपनी में निवेश करने पर निषेध है।

स्पष्टीकरण: किसी भारतीय पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी सहभागिता वाली कोई समुद्रपारीय कंपनी/संस्था भारतीय रुपये से संबद्ध वित्तीय उत्पादों (उदाहरण: गैर-सुपुर्दगी वाले ट्रेड जिनमें विदेशी मुद्रा, रुपया विनिमय दर, भारतीय बाजार से संबद्ध शेयर सूचकांक, आदि शामिल होते हैं) के प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं करेगी। ऐसे उत्पादों की सुविधा प्रदान करने की कोई भी घटना मौजूदा फेमा विनियमों के अंतर्गत उल्लंघन मानी जाएगी और परिणामत: विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई को आमंत्रित करेगी।

ए.4 सामान्य अनुमति

अधिसूचना के विनियम 4 के अनुसार निवासियों को निम्न प्रकार से प्रतिभूतियों की खरीद/अधिग्रहण के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है-

---

[1] *31* मार्च *2005* की अधिसूचना सं. फेमा*.132/2005*-आरबी*,17* मई *2005* की अधिसूचना सं. फेमा*. 135/2005*-आरबी, *11* अगस्त *2005* की अधिसूचना सं. फेमा. *139/2005*-आरबी, *21* अगस्त *2006* की अधिसूचना सं. फेमा. *150/2006*-आरबी, *9* अक्तूबर *2007* की अधिसूचना सं. फेमा. *164/2007*-आरबी, *19* दिसंबर *2007* की अधिसूचना सं. फेमा. *173/2007*-आरबी, 5 सितंबर 2008 की अधिसूचना सं. फेमा. *180/2008*-आरबी, *01* अक्तूबर *2008* की अधिसूचना सं. फेमा. *181/2008*-आरबी *20 जनवरी 2009 की* अधिसूचना सं. फेमा. *184/2009*-आरबी, *3 फरवरी 2009* की अधिसूचना सं. फेमा. *188/2009*-आरबी, *28 जुलाई 2009 की* अधिसूचना सं. फेमा. *196/2009*-आरबी, *7 मार्च 2012* की अधिसूचना सं. फेमा. *225/2012*-आरबी, *30 मई 2012* की अधिसूचना सं. फेमा. *231/2012*-आरबी, *22 नवंबर 2012* की अधिसूचना सं. फेमा. *249/आरबी-2012, 5 मार्च 2013* की अधिसूचना सं. फेमा. *263/आरबी-2013, 19 मार्च 2013* की अधिसूचना सं. फेमा. *271/*आरबी*-2013, 8 मई 2013* की अधिसूचना सं. फेमा. *277/2013*-आरबी, *14 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. फेमा.283/आरबी-2013 और 24 मार्च 2014 की अधिसूचना सं. फेमा. 299/2014-आरबी द्वारा यथा संशोधित एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न तारीखों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, (*इसके *पश्चात* अधिसूचना' शब्द से अभिहित*)*

(ए) निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में धारित निधियों में से;

(बी) विदेशी करेंसी शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में; और

(सी) जब भारत में स्थायी रूप से निवासी नहीं है तो भारत के बाहर उनके विदेशी करेंसी स्रोतों में से।

इस प्रकार खरीदे/अभिगृहीत शेयरों को बेचने की भी सामान्य अनुमति है ।

खंड बी: भारत के बाहर प्रत्यक्ष निवेश

बी.1 : स्वतः अनुमोदित(स्वचालित) मार्ग

(1) अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार, भारतीय पार्टी को विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों में, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा (ceiling) में, निवेश करने की अनुमति दी गई है। भारतीय कंपनी विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली संस्थाओं/कंपनियों में निवेश करने वाली भारत में निगमित कंपनी अथवा संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत बनी कंपनी (निकाय) अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निगमित सीमित देयता भागीदारी फर्म से अभिप्रेत है।

फेमा के वर्तमान उपबंधों के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/ वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा, 14 अगस्त 2013 से पूर्व के स्तर पर, 3 जुलाई 2014 से पुन: बहाल कर दी गई है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक बिलियन अमरीकी डालर से अधिक (अथवा उसके समतुल्य) की वित्तीय प्रतिबद्धता के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी भले ही वह राशि स्वचालित मार्ग के तहत पात्र सीमा (अर्थात अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल मालियत के 400% की सीमा में) हो[2]।

(2) भारतीय पार्टी, ऐसे निवेशों के संबंध में विप्रेषण हेतु ओडीआई फार्म (संलग्नक-ए) में आवेदनपत्र और निर्धारित अनुलग्नकों/दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक से संपर्क करें।

(3) सभी संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताओं में निम्नलिखित शामिल होंगी/होंगे:

ए. ईक्विटी शेयरों की राशि 100%;

बी. अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों की राशि 100%;

सी. अन्य अधिमानी शेयरों की राशि 100%;

डी. ऋण की राशि 100%;

ई. भारतीय पार्टी द्वारा जारी गारंटी (निष्पादन गारंटी से भिन्न) की राशि 100%;

एफ. किसी भारतीय पार्टी के संयुक्त उद्यम/की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी(यों) की ओर से निवासी बैंक के द्वारा जारी बैंक गारंटी की राशि 100%, बशर्ते ऐसी बैंक गारंटी भारतीय पार्टी

---

[2] 3 जुलाई 2014 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 1

द्वारा दी गई प्रति गारंटी/संपार्श्विक गारंटी द्वारा समर्थित हो;

जी. भारतीय पार्टी द्वारा जारी निष्पादन गारंटी राशि का 50 प्रतिशत, बशर्ते यह कि निष्पादन गारंटी के आह्वान से बहिर्प्रवाह होने के परिणाम स्वरूप यदि वित्तीय प्रतिबद्धता की लागू सीमा भंग होती हो, तो वित्तीय प्रतिबद्धता की विनिर्दिष्ट सीमा से ज्यादा राशि विप्रेषित करने से पहले रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त की जाए।

पाद टिप्पण: अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयर (CCPS) ईक्विटी शेयरों के समान माने जाएंगे।

ये निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(4) ए) भारतीय पार्टी/कंपनी केवल ऐसे समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों को ऋण/गारंटी दे सकती है जिनमें उसकी ईक्विटी सहभागिता हो। संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में बिना ईक्विटी अंशधारिता के वित्तीय प्रतिबद्धता लेने संबंधी भारतीय पार्टी के प्रस्तावों पर अनुमोदन मार्ग के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेजबान देश के कानून भारतीय पार्टी द्वारा बिना ईक्विटी सहभागिता के कंपनी के गठन की अनुमति देते हैं, प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों के ऐसे प्रस्ताव रिज़र्व बैंक को अग्रसारित कर सकते हैं।

भारतीय कंपनियां किसी भी प्रकार की गारंटी दे सकती हैं - जैसे कारपोरेट या वैयक्तिक (भारतीय पार्टी के अप्रत्यक्ष निवासी प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी सहित)/ प्रवर्तक कंपनी द्वारा प्राथमिक या संपार्शिक/गारंटी अथवा भारत स्थित समूह कंपनी, सहयोगी (सिस्टर) संस्था, सहयोगी कंपनी द्वारा गारंटी दे सकती हैं बशर्ते यह कि:

i) सभी प्रकार की गारंटियों सहित सभी वित्तीय प्रतिबद्धताएं भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी (ओवरसीज़) निवेश के लिए निर्धारित समग्र सीमा के अंदर हैं।

ii) कोई भी गारंटी "असीमित" न हो अर्थात गारंटी की राशि तथा अवधि पहले से निश्चित (स्पेसीफाइड अपफ्रंट) होनी चाहिए। निष्पादन गारंटी के मामले में, संविदा पूर्ण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि संबंधित कार्य निष्पादन गारंटी की वैधता अवधि होगी ।

iii) ऐसे मामले, जहां निष्पादन गारंटियों के आह्वान के कारण वित्तीय एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा भंग होती हो, वहां भारतीय पार्टी को ऐसे आह्वान के कारण भारत से निधियां विप्रेषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।

iv) कंपनी गारंटियों के मामले में, सभी गारंटियों (निष्पादन गारंटियां और बैंक गारंटियाँ/एसबीएलसी सहित) की सूचना ओडीआई फार्म के भाग II में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। भारत से बाहर की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (कंपनियों)/संयुक्त उद्यमों के पक्ष में भारत में स्थित बैंकों द्वारा जारी गारंटियां, समय-समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (डीबीओडी) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगी।

टिप्पणी: *वित्तीय प्रतिबध्दताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय पार्टी/ग्रुप कंपनियों की अचल/चल संपत्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर {समुद्रपारीय* संयुक्त उद्यम*/पूर्ण* स्वामित्ववाली सहायक संस्था*ओं (कंपनियों) के शेयरों को गिरवी रखने के अतिरिक्त}, विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के अंतर्गत प्रभार सृजित करने के लिए, भारतीय पार्टी और उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा उसके/उनके भारतीय उधारदाताओं से एतदर्थ 'अनापत्ति' की सहमति संलग्न करके रिज़र्व बैंक से विशिष्ट अनुमति लेनी होगी।*

बी) भारतीय पार्टी, रिज़र्व बैंक की निर्यातक सतर्कता सूची, रिज़र्व बैंक/ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआइबीआइएल)/अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट इंर्फोमेशन कंपनी द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में न हो अथवा किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन न हो।

सी) संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं से संबंधित सभी लेनदेन भारतीय पार्टी द्वारा नामित की जानेवाली किसी प्राधिकृत व्यापारी की एक शाखा के माध्यम से किए जाएं।

डी) वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक/पूर्ण अधिग्रहण के मामले में, जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I मर्चेंट बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर के निवेश बैंकर/मर्चेंट बैंकर; और, अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा किया जाएगा।

ई) शेयरों के स्वैप के रूप में निवेश के मामलों में, राशि पर ध्यान दिए बिना, शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी श्रेणी I मर्चेंट बैंकर अथवा मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत भारत से बाहर के निवेश बैंकर द्वारा किया जाएगा। शेयरों के स्वैप के मार्फत निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमोदन लेना भी एक पूर्व शर्त होगी।

एफ) पंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा विदेश स्थित विदेशी(समुद्रपारीय) संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश के मामले में, जहां ऐसे निवेश के लिए संपूर्ण निधीयन फर्म द्वारा किया जाता है, अलग-अलग साझेदारों के लिए यह सही होगा कि वे विदेशी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं(कंपनियों) में फर्म के लिए और फर्म की ओर से शेयर धारण करें, यदि मेजबान देश के विनियम अथवा परिचालनात्मक अपेक्षाएं ऐसी शेयर धारिता का अधिकार देती हैं।

जी) किसी भारतीय पार्टी को, वास्तविक कारोबार के कार्यकलापों में लगी हुई विदेशी कंपनी के शेयर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट मेकेनिज्म के माध्यम से) योजना, 1993 और उसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्गम जारी करने की योजना के अंतर्गत जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले अधिग्रहीत करने की अनुमति है, बशर्ते:

(i) एडीआर/जीडीआर भारत से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;

(ii) अधिग्रहण के प्रयोजन से एडीआर और/ अथवा जीडीआर निर्गम भारतीय पार्टी द्वारा जारी विचाराधीन नवीन ईक्विटी शेयरों द्वारा समर्थित हैं;

(iii) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में कुल धारिता (होल्डिंग) नए एडीआर और/अथवा जीडीआर निर्गम के बाद विस्तारित पूंजी आधार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत ऐसे निवेश के लिए संबंधित विनियमों के अधीन निर्धारित क्षेत्रीय सीमा (सेक्टोरल कैप) से अधिक न हो;

(iv) विदेशी कंपनी के शेयरों का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा ;

(ए) यदि शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं तो निवेशकर्ता बैंकर की सिफारिशों के अनुसार; अथवा

(बी) महीना जिसमें अधिग्रहण किया गया है उसके पूर्ववर्ती तीन महीनों के लिए विदेश में किसी स्टॉक एक्सचेंज के मासिक औसत मूल्य के आधार पर विदेशी कंपनी का वर्तमान बाजार पूंजीकरण होता है, उसके आधार पर और इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रीमियम, यदि कोई हो , जिसकी बैंकर द्वारा अपनी तत्परता (डिलीजेंस) रिपोर्ट में सिफारिश की गयी हो, के आधार पर।

(5) भारतीय पार्टी लेनदेन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने के लिए प्राधिकृत बैंक को फार्म ओडीआई में ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

टिप्पणी : नेपाल में सिर्फ भारतीय रुपए में निवेश करने की अनुमति है। भूटान में भारतीय रुपए और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निवेश की अनुमति है। मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किए गए निवेशों के संबंध में प्राप्य सभी राशियां और उनकी बिक्री/समापन प्राप्यों को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित है। भारतीय पार्टियों द्वारा पाकिस्तान में निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

बी.1.1 भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की स्टेप डाउन सहायक कंपनी को गारंटी जारी करना

(ए) वर्तमान में, भारतीय पार्टियों को स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) के रूप में कार्यरत अपने संयुक्त उद्‌यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा स्थापित उनके पहले स्तर के स्टेप डाउन कार्यरत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) की ओर से कार्पोरेट गारंटी जारी करने की अनुमति है, बशर्ते भारतीय पार्टी की वित्तीय प्रतिबध्दता समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की मौजूदा सीमा के भीतर हो। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष सहायक कंपनी कार्यरत कंपनी अथवा विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) होने पर ध्यान दिये बिना भारतीय प्रवर्तक संस्था समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रचलित (अनुमत) सीमा के भीतर स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत फर्स्ट जनरेशन स्टेप डाउन कार्यरत कंपनी की ओर से कार्पोरेट गारंटी प्रदान कर सकती है। ऐसी गारंटियां, अब तक की भांति, संबंधित पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। के जरिये ओडीआई फॉर्म में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करनी होंगी ।

(बी) इसके अलावा, सेकंड जनरेशन अथवा अनुवर्ती स्तर की स्टेप डाउन कार्यरत सहायक कंपनियों की ओर से कार्पोरेट गारंटी जारी करने पर अनुमोदित मार्ग के तहत विचार किया जाएगा बशर्ते भारतीय पार्टी ऐसी गारंटी जिस कंपनी के लिए जारी करना चाहती है उस समुद्रपारीय सहायक कंपनी में वह 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक स्टेक अप्रत्यक्ष रूप से धारण किये हो ।

बी.1.2 स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के जरिये निवेश

(i) अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के मार्फत भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश की भी अनुमति है बशर्ते कि भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची अथवा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के अधीन न हो अथवा रिज़र्व बैंक/रिज़र्व बैंक द्वारा यथानुमोदित किसी अन्य क्रेडिट इंर्फोमेशन कंपनी द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली की चूककर्ता सूची में न हो। चूककर्ता सूची में नाम वाली भारतीय पार्टियों को निवेश के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

(ii) स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत एसपीवी की स्थापना को विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी में निवेश के प्रयोजन के लिए अनुमति दी जाती है।

बी. 2 स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनिगमित विदेशी तेल क्षेत्र की कंपनियों में निवेश

(1) प्राधिकारी व्यापारी बैंक बिना किसी सीमा के नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड(ओवीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड(ओआइएल) द्वारा तेल क्षेत्र में अनिगमित/निगमित विदेशी कंपनियों में निवेश (अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस, आदि की खोज और खुदाई के लिए) को अनुमति दें बशर्ते ऐसे निवेशों को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(2) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अन्य भारतीय कंपनियों को भी विनिर्दिष्ट सीमा तक तेल क्षेत्र में अनिगमित विदेशी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि प्रस्ताव को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो और इसके साथ ऐसे निवेश का अनुमोदन करते हुए बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति संलग्न की गयी हो। विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक के निवेश हेतु रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

(3) भारतीय कंपनियों को स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत, सह स्वामित्व आधार पर सबमरीन केबल सिस्टम्स निर्माण करने तथा उसके रखरखाव के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय परिचालकों के साथ सहायता संघ में सहभागी होने के लिए भी अनुमति दी गयी है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा विप्रेषण के लिए अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दें कि भारतीय कंपनी ने इंटरनेशनल लाँग डिस्टैन्स सर्विसेज स्थापित करने, लगाने, परिचालन और रखरखाव के लिए दूरसंचार विभाग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया है और इस प्रकार के निवेश अनुमोदित करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है ।

तदनुसार, सहायता संघ में निवेश करने वाली भारतीय संस्थाओं (कंपनियों) द्वारा ये लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को, उसके ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण के लिए, ओडीआई फॉर्म में रिपोर्ट किये जाएं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों द्वारा युनिक पहचान संख्या के आबंटन के लिए रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये जाएं।

बी.3 निधीयन की विधि

(1) समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली संस्थाओं (कंपनियों) में निवेश हेतु निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक स्रोतों से निधीयन किया जा सकता है:

i) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा का आहरण;

ii) निर्यात का पूंजीकरण;

iii) शेयरों की अदला बदली (उपर्युक्त पैरा बी.1(ई) में उल्लिखित किये अनुसार मूल्यांकन);

iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की आय का उपयोग;

v) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज़्म के माध्यम से) योजना, 1993 और उसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्गम जारी करने की योजना के अंतर्गत जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले में ;

vi) भारतीय पार्टी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में रखी शेष राशि; और

vii) एडीआर/जीडीआर निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई विदेशी मुद्रा निधियों की आगम राशि।

उपर्युक्त (vi) और (vii) के संबंध में, निवल मालियत की 100 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। तथापि, वित्तीय क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों के संबंध में, निधीयन की प्रणाली पर ध्यान दिए बिना, अधिसूचना के विनियम 7 के अनुपालन की शर्त लागू होगी।

(2) भारत में निवासी व्यक्तियों को निम्नवत प्रतिभूतियों की खरीद/ अधिग्रहण के लिए सामान्य अनुमति दी गई है:

(i) आरएफसी खाते में रखी निधियों में से;

(ii) विदेशी मुद्रा शेयरों की वर्तमान धारिता पर बोनस शेयरों के रूप में; और

(iii) जब भारत में स्थायी निवासी नहीं हैं तो भारत के बाहर उनके विदेशी मुद्रा स्रोतों में से (उपर्युक्त पैरा ए.4)।

बी.4 निर्यातों और अन्य प्राप्य राशियों (ड्यूज) का पूंजीकरण

1) भारतीय पार्टियों को लागू सीमा के अंदर विदेशी कंपनियों से निर्यात, शुल्क, रॉयल्टी के लिए प्राप्य भुगतान अथवा तकनीकी जानकारी, परामर्श, प्रबंधकीय और अन्य सेवाएं देने के लिए विदेशी कंपनी से अन्य प्राप्य राशियों के पूंजीकरण की भी अनुमति है। यदि निर्यात आय वसूली अवधि के बाद वसूलीगत पूंजीकरण के लिए शेष रहे, तो उसके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

2) भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातकों को संयुक्त उद्यम के साथ करार किये बिना, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विदेशी सॉफ्टवेयर स्टार्ट–अप कंपनी को किए गए निर्यातों के मूल्य के 25% अंश को शेयरों के रूप में प्राप्त करने की अनुमति है।

बी.5 वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश

(1) अधिसूचना के विनियम 7 के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत भारत के बाहर की किसी कंपनी में निवेश करने की अनुमति मांगने वाली भारतीय पार्टी को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा;

(i) वित्तीय क्षेत्र के कार्यकलाप चलाने के लिए भारत में विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए;

(ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ कमाना चाहिए;

(iii) भारत और विदेश में स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से ऐसे वित्तीय क्षेत्रगत

कार्यकलाप में उद्यम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए; और

(iv) भारत स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकशील मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

(2) वर्तमान संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों अथवा वित्तीय सेवा क्षेत्र में स्थित उनकी स्टेप डाउन सहयोगी कंपनी द्वारा किसी अतिरिक्त निवेश के लिए भी उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(3) विदेशी किसी भी क्षेत्र के क्रियाकलाप में निवेश करनेवाली वित्तीय क्षेत्र की विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। भारत के वित्तीय क्षेत्र की अविनियमित कंपनियां अधिसूचना के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन गैर वित्तीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में निवेश कर सकती हैं। समुद्रीपारीय पण्य मंडियों में व्यापार करना और समुद्रपारीय मंडियों में व्यापार के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की स्थापना करना वित्तीय सेवा कार्यकलाप के रूप में गिना जाएगा और उसे वायदा बाज़ार आयोग से मंजूरी लेने की जरूरत है।

बी.6 विदेश में पंजीकृत कंपनियों की ईक्विटी / के निर्धारित (रेटेड) कर्ज लिखतों में निवेश

(1) (i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को तुलन पत्र के पिछले लेखा परीक्षण की तारीख को उनकी निवल मालियत के 50 प्रतिशत तक सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों द्वारा जारी, प्रामाणिक / पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर निर्धारित (i) शेयरों और (ii) बांडों/ नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।

(ii) म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश

सेबी के पास पंजीकृत भारतीय म्युचुअल फंडों को 7 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अंदर निम्नलिखित में निवेश करने की अनुमति है:

i) भारतीय और विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर;

ii) विदेश में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की ईक्विटी;

iii) विदेश में स्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए पब्लिक आफर के प्रारंभिक और अनुवर्ती प्रस्ताव;

iv) पूर्ण परिवर्तनीय मुद्राओं वाले देशों में विदेशी कर्ज प्रतिभूतियों और प्रामाणिक / पंजीकृत क्रेडिट एजेंसियो द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर रेटिंग वाले अल्पावधि और दीर्घावधि लिखतों में;

v) निवेश ग्रेड से ऊपर रेटेड मुद्रा बाजार लिखतों में;

vi) निवेश के रूप में रेपो, जहां प्रतिपक्षी को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका गया हो । फिर भी, रेपो म्युचुअल फंडों द्वारा निधियों के किसी उधार में शामिल नहीं होना चाहिए।

vii) सरकारी प्रतिभूतियों में जहां देशों को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका गया हो;

viii) प्रतिभूतियों के रूप में अंतर्निहित के साथ केवल हेजिंग और पोर्टफोलियो संतुलन के लिए विदेश स्थित मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में व्युत्पन्न व्यापार;

ix) विदेश स्थित बैंकों के पास अल्पावधि सावधि जमा के रूप में जहां जारीकर्ता को निवेश ग्रेड के नीचे नहीं आंका गया हो; और

x) विदेशी विनियामकों के पास पंजीकृत विदेशी म्युचुअल फंडों अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों/प्रतिभूतियों तथा (ए) उपर्युक्त प्रतिभूतियों, (बी) विदेशी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रियल इस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्टों, अथवा (सी) गैर सूचीबद्ध विदेशी प्रतिभूतियों (उनकी निवल परिसंपत्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक) में निवेश कर सकते हैं।

(2) अर्हता प्राप्त भारतीय म्युचुअल फंडों की एक सीमित संख्या को सेबी द्वारा यथानुमत समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में 1 बिलियन अमरीकी डालर तक संचयी रूप से निवेश की अनुमति दी जाती है।

(3) सेबी के पास पंजीकृत देशी जोखिम पूंजी निधियां 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अधीन अपतटीय जोखिम पूंजी उपक्रमों के ईक्विटी और ईक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश कर सकती हैं। तदनुसार, इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक म्युचुअल फंड/जोखिम पूंजी निधियाँ आवश्यक अनुमति के लिए सेबी से संपर्क करें।

(4) इस प्रकार अधिगृहीत प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए उपर्युक्त श्रेणी के निवेशकों को सामान्य अनुमति प्राप्त है।

बी-7 रिज़र्व बैंक का अनुमोदन

(1) विदेश में प्रत्यक्ष निवेश के अन्य सभी मामलों में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इस प्रयोजनार्थ आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ ओडीआई फार्म में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं।

(2) ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :-

ए) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (कंपनियों) की, प्रथम दृष्टि में, अर्थसक्षमता;

बी) विदेशी व्यापार और अन्य लाभ में योगदान, जो ऐसे निवेश से भारत को प्राप्त होगा;

सी) भारतीय पार्टी और विदेशी कंपनी की वित्तीय स्थिति और पिछला कारोबार निष्पादन रिकार्ड;

डी) भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (कंपनियों) के उसी कार्यकलाप या उससे संबंधित कार्यकलापों में भारतीय पार्टी की विशेषज्ञता और अनुभव।

बी.8 ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश

ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र (अर्थात तेल, गैस, कोयला और खनिज अयस्क) के/की विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (कंपनियों) में वित्तीय प्रतिबद्धता संबंधी विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक निवेश करने के आवेदन पर रिज़र्व बैंक विचार करेगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक अपने ग्राहकों से प्राप्त ऐसे आवेदनपत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिज़र्व बैंक को भेजें।

बी.9 स्वामित्ववाली (proprietorship) कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

(1) प्रमाणित ट्रैक रेकार्ड एवं सतत रूप से उच्च निर्यात वाले मान्यता प्राप्त तारांकित निर्यातकों को वैश्वीकरण और उदारीकरण के लाभ उठाने में समर्थ बनाने हेतु, कतिपय पात्रता मानदंडों को पूरा

करने वाले स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी प्रतिष्ठानों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था (कंपनी) स्थापित करने की अनुमति दी गई है। फार्म ओडीआई में आवेदनपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पाँचवी मंजिल, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक ऐसे निवेश प्रस्तावों को अपनी टिप्पणियों/ सिफारिशों के साथ विचारार्थ रिज़र्व बैंक को भेजें।

(2) स्थापित स्वत्वधारी और अपंजीकृत साझेदारी निर्यातक फर्मों द्वारा निवेश निम्नलिखित मानदण्डों के अधीन होंगे :

i) साझेदारी/ स्वत्वधारी फर्म विदेशी व्यापार के महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार निर्यात हाउस है।

ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदंडों का अनुपालक है, प्रस्तावित कारोबार में कार्यरत है और उपर्युक्त मद (i) में दर्शाई गई अपेक्षाओं को पूरा करता है।

iii) निर्यातक का अच्छा कार्य निष्पादन रिकार्ड है अर्थात निर्यात बकाया पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निर्यात प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक है।

iv) निर्यातक प्रवर्तन निदेशालय/ केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी किसी सरकारी एजेंसी की प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं है और रिज़र्व बैंक की निर्यातकों संबंधी सतर्कता सूची अथवा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की चूककर्ता सूची में नहीं है।

v) भारत के बाहर निवेश की राशि तीन वित्तीय वर्षों की औसत निर्यात प्राप्तियों के 10 प्रतिशत अथवा फर्म की निवल मालियत के 200 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक न हो ।

बी.10 पंजीकृत ट्रस्ट/ सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय निवेश

विनिर्माण/शिक्षा/अस्पताल क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत ट्रस्टों और सोसाइटियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में उसी क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी जाती है। नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले ट्रस्ट और सोसाइटी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक के माध्यम से फार्म ओडीआई भाग-I में आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, 5वीं मंजिल, फोर्ट ,मुंबई 400001 को विचारार्थ प्रस्तुत करे।

पात्रता मानदंड :

(ए) ट्रस्ट

i) भारतीय न्यास अधिनियम,1882 के तहत ट्रस्ट पंजीकृत होना चाहिए;

ii) ट्रस्ट विलेख विदेश में प्रस्तावित निवेश की अनुमति देता है;

iii) प्रस्तावित निवेश ट्रस्टी/ ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए;

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि ट्रस्ट अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) मानदंडों का अनुपालक है और जायज (bonafide) कार्यकलाप करता है;

v) ट्रस्ट कम से कम पिछले तीन वर्ष से अस्तित्व में है;

vi) ट्रस्ट किसी विनियामक /प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसी की प्रतिकूल नोटिस में नहीं है ।

(बी) सोसाइटी

i) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के तहत सोसाइटी पंजीकृत होनी चाहिए;

ii) सोसाइटी के बर्हिनियम, नियम और विनियम सोसाइटी को प्रस्तावित निवेश की अनुमति देते हैं जो शासी निकाय /परिषद अथवा प्रबंधन / कार्यकारिणी समिति द्वारा भी अनुमोदित होने चाहिए;

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि सोसाइटी अपने ग्राहकों को जानिए (केवाइसी) मानदंडों का अनुपालक है और जायज कार्यकलाप करता है;

iv) सोसाइटी कम से कम पिछले तीन वर्ष से अस्तित्व में है;

v) सोसाइटी किसी विनियामक /प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई जैसी एजेंसी की प्रतिकूल नोटिस में नहीं है ।

पंजीकरण के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करे कि क्रियाकलाप के संबंध में यदि भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से विशेष लाइसेंस/अनुमति, जैसी भी स्थिति हो, लेनी अपेक्षित हो , तो आवेदक ने ऐसा विशेष लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो/ऐसी अनुमति प्राप्त कर ली हो।

बी.11 वर्तमान संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेशोत्तर परिवर्तन/ अतिरिक्त निवेश

विनियमों के अनुसार भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं अपने कार्यकलापों में विविधता ला सकती हैं/ स्टेप डाऊन सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकती हैं/ समुद्रपारीय कंपनी में शेयर धारिता के स्वरूप को बदल सकती हैं (वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, विनियम 7 के अनुपालन के अधीन)। भारतीय पार्टी मेजबान देश के स्थानीय कानून के अनुसार संबंधित संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों के ब्योरे अनुमोदन के 30 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए रिज़र्व बैंक को दें और उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट -ओडीआई भाग III) में शामिल करें।

बी.12 ऐसी समुद्रपारीय संस्था (ओवरसीज इंटिटी) के तुलन पत्र को पुन: संतुलित (रिस्ट्रक्चर) करना, जहाँ पूंजी तथा प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालना शामिल हो

भारतीय कार्पोरेटों को परिचालनगत अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, भारतीय प्रवर्तकों जिन्होंने विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी(डब्ल्यूओएस) स्थापित की है अथवा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम में न्यूनतम 51 प्रतिशत के स्टेक धारी हैं, वे संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों(डब्ल्यूओएस) के संबंध में पूंजी(ईक्विटी /अधिमानी शेयर) अथवा ऋण, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा प्रबंध शुल्क जैसी अन्य

प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डाल सकते हैं, भले ही ऐसे संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां(डब्ल्यूओएस) निम्नानुसार कार्य करना जारी रखते हैं ;

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में किए गए ईक्विटी निवेश के 25 प्रतिशत तक पूंजी तथा अन्य प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जाती है; और

(ii) गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमोदित मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम(जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में किए गए ईक्विटी निवेश के 25 प्रतिशत तक पूंजी तथा अन्य प्राप्य राशियां बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जाती है ।

बट्टे खाते में डालने/रिस्ट्रक्चरिंग किये जाने पर उसकी सूचना 30 दिनों के भीतर पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के जरिये रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की जानी है । बट्टे खाते में डालना/रिस्ट्रक्चरिंग इस शर्त के तहत है कि भारतीय पार्टी छान-बीन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज, स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदित मार्ग के तहत, पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक को आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगी:

ए) भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस)/ संयुक्त उद्यम(जेवी) में हानि दर्शानेवाले तुलन पत्र की प्रमाणित प्रति; और

बी) बट्टे खाते में डालने/रिस्ट्रक्चरिंग के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनी को मिलने वाले लाभों को दर्शाने वाला आगामी पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)।

बी.13 बोली या निविदा प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी का अधिग्रहण

भारतीय पार्टी अधिसूचना के विनियम 14 के प्रावधानों के अनुसार बोली या टेंडर प्रक्रिया के जरिए विदेशी कंपनी के अधिग्रहण के लिए बयाना रकम का विप्रेषण अथवा बोली बांड गारंटी जारी कर सकती है एवं बाद के विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक के जरिए कर सकती है।

बी.14 भारतीय कंपनी के दायित्व

(1) विदेश में प्रत्यक्ष निवेश करने वाली भारतीय पार्टी के निम्नलिखित दायित्व हैं । (ए) निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त करना, (बी) विदेशी कंपनी से प्राप्य रकम भारत में प्रत्यावर्तित करना, और (सी) अधिसूचना के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक को दस्तावेज/ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना । निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाणपत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत किये जाने हैं और उसके द्वारा अपने पास रखे जाने हैं। उनसे यह अपेक्षित है कि वह इन दस्तावेजों की प्राप्ति पर निगरानी रखें तथा उसकी वास्तविकता के संबंध में अपनी पूरी संतुष्टि कर लें। पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक द्वारा एपीआर (फॉर्म ओडीआई के भाग ।।।) के साथ इस आशय का एक प्रमाणपत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया

जाना चाहिए।

(2) वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट की प्रस्तुति सहित रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं तेल क्षेत्र की अनिगमित कंपनियों के निवेशकों पर भी लागू है।

(3) जहाँ मेजबान देश का कानून संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करना अनिवार्य नहीं बनाता है, वहाँ भारतीय पार्टी द्वारा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे के आधार पर वार्षिक कार्य निष्पादन (APR) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए बशर्ते :

ए. भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करें कि 'संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के मामलों की सच्ची एवं सही तस्वीर पेश करते हैं' और

बी. कि संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के बिना लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे भारतीय पार्टी द्वारा समाहित कर लिए गए हैं और बोर्ड द्वारा उनकी अभिपुष्टि की गयी है ।

बी. 15. संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण

(1) कोई भारतीय पार्टी रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य भारतीय पार्टी को, जो 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना सं.120/आरबी-2004 के विनियम 6 के उपबधों का अनुपालन करती है या भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को उसके द्वारा भारत से बाहर के किसी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के अपने शेयर या प्रतिभूति को बिक्री के मार्फत निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अंतरित कर सकती है:

i) बिक्री का परिणाम किये गये निवेश में कोई बट्टा नहीं है;

ii) स्टॉक एक्सचेंज, जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, के माध्यम से बिक्री की गई है;

iii) यदि शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया जाता है, तो शेयरों का मूल्य संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर उचित मूल्य के रूप में सनदी लेखाकार/ प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा प्रमाणित मूल्य से कम नहीं है;

iv) भारतीय पार्टी के पास लाभांश, तकनीकी ज्ञान की फीस, रॉयल्टी, परामर्श सेवाओं, कमीशन अथवा अन्य हकदारी और/ अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी से निर्यात के प्राप्यों से संबंधित कोई बकायेदारी नहीं है;

v) समुद्रपारीय प्रतिष्ठान पिछले पूरे एक वर्ष से कार्यरत है और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है;

vi) भारतीय पार्टी के विरुद्ध भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो/ प्रवर्तन निदेशालय/ सेबी/ आईआरडीए अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई जाँच नहीं की जा रही है।

2. भारतीय पार्टी से अपेक्षित है कि वह विनिवेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने नामित प्राधिकारी व्यापारी श्रेणी -I बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे प्रस्तुत करे।

बी.16 संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों की बिक्री के रूप में अंतरण, जिसमें निवेश को बट्टे खाते डालना निहित हो

(1) भारतीय पार्टियां निम्नलिखित मामलों में जहां निवेश की गयी मूल राशि से विनिवेशित प्रत्यावर्तनीय राशि कम हो, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, विनिवेश कर सकती हैं:

i) जहां संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

ii) जहां भारतीय पार्टी भारत स्थित किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और उसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपए से कम नहीं है।

iii) जहां भारतीय पार्टी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और विदेशी उद्यम में निवेश 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।

iv) जहां भारतीय पार्टी एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम है किंतु समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश की राशि 10 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो ।

(2) ऐसे विनिवेश उल्लिखित मद सं.बी.15 (ii) से (iv) और बी.15.2 में दी गयी शर्तों के अधीन होंगे ।

(3) कोई भारतीय पार्टी जो विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में विनिवेश करने के लिए उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है उसे इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा ।

बी. 17 संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के शेयरों को गिरवी रखना

कोई भारतीय पार्टी अपने लिए अथवा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए ऋण सुविधा लेने हेतु भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पास समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों को उक्त अधिसूचना के विनियम 18 के अनुसार गिरवी रख सकती है। भारतीय पार्टी समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में धारित शेयरों को गिरवी के रूप में किसी समुद्रपारीय उधारदाता को अंतरित कर सकती है बशर्ते उधारदाता का एक बैंक के रूप में विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता हो और भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं समुद्रपारीय निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित सीमाओं के अंदर हों।

बी. 18. प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की हेज़िंग

(1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली निवासी कंपनियों को ऐसे निवेशों से उत्पन्न होने वाले एक्सचेंज रेट रिस्क की हेजिंग की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऐसे जोखिम के सत्यापन की शर्त पर अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ईक्विटी और ऋण) की हेजिंग की इच्छुक निवासी कंपनियों के साथ वायदा/ ऐच्छिक करार (option contract) कर सकते हैं।

(2) यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाज़ार मूल्य में गिरावट के कारण हेजिंग आंशिक अथवा पूर्ण रूप से असुरक्षित हो जाता है तो हेजिंग मूल परिपक्वता तक कायम रह सकती है। नियत तारीख को रोलओवर उस तारीख को बाज़ार मूल्य की सीमा तक अनुमत है।

बी.19 निवासी व्यक्तियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ODI)

5 अगस्त 2013 से, अधिसूचना की अनुसूची V के अनुसार मानदण्डों को पूरा करने वाला कोई निवासी व्यक्ति (अकेले अथवा किसी अन्य निवासी व्यक्ति अथवा अधिसूचना में यथा परिभाषित किसी "भारतीय पार्टी" के साथ मिलकर) भारत से बाहर के किसी संयुक्त उद्यम(JV) अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के ईक्विटी शेयरों और अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश कर सकता है। किसी निवासी व्यक्ति द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने की सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उदारीकृत विप्रेषण योजना के उपबंधों के तहत समय-समय पर यथा निर्धारित समग्र सीमाके भीतर होगी। अधिसूचना की अनुसूची V में विनिर्दिष्ट शर्तें संलग्नक "डी" में दी गई हैं।

बी.20 (1) यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान/मूल गारंटी के नवीकरण/ रोलओवर को, उक्त अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता का भाग होने के मद्देनज़र, नई वित्तीय प्रतिबद्धता न माना जाए/के रूप में न परिगणित किया जाए, बशर्ते:

(ए) मौजूदा/मूल गारंटी तत्समय/ प्रचलित फेमा दिशानिर्देशों के अंतर्गत जारी हुई हो।

(बी) गारंटी के अंतिम उपयोग , अर्थात संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/स्टेप डाउन सहायक कंपनी द्वारा उठायी गयी सुविधाओं , में कोई बदलाव न हुआ हो।

(सी) गारंटी की राशि सहित उसकी शर्तों में , वैधता अवधि को छोड़कर , कोई बदलाव न हुआ हो;

(डी) रोलओवर हुई गारंटी की रिपोर्टिंग , अब तक की भांति, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश(ODI) फॉर्म के भाग-II में नई वित्तीय प्रतिबद्धता के रूप में किया जाएगा; और

(ई) यदि भारतीय पार्टी किसी भी जांच / प्रवर्तन एजेंसी या विनियामक संस्था द्वारा जांच के अधीन है , तो संबंधित एजेंसी / संस्था को इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

(2) यदि उक्त शर्तें पूरी न होती हों, तो भारतीय पार्टी मौजूदा गारंटी के रोलओवर / नवीकरण के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

खंड सी विदेशी प्रतिभूतियों में अन्य निवेश

सी. 1 कुछ मामलों में विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/उनके अधिग्रहण के लिए अनुमति

(1) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है :-

ए) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से उपहार स्वरूप विदेशी प्रतिभूति का अधिग्रहण;

बी) भारत से बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी नकद रहित कर्मचारी शेयर विकल्प योजना के तहत जारी शेयर का अधिग्रहण बशर्ते इसमें भारत से किसी प्रकार का विप्रेषण शामिल न हो;

सी) भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति से विरासत में शेयरों का अधिग्रहण;

डी) विदेशी कंपनी की कर्मचारी स्टॉक आप्शन योजना के मार्फत ईक्विटी शेयरों की खरीद करने की आम अनुमति दी गई है, बशर्ते वह (individual) विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय या शाखा कार्यालय, या, विदेशी कंपनी की भारत स्थित सहायक कंपनी, या, किसी भारतीय कंपनी जिसमें विदेशी कंपनी की प्रत्यक्ष या होल्डिंग कंपनी/एसपीवी के मार्फत विदेशी ईक्विटी होल्डिंग हों भले ही उसका भारतीय कंपनी के स्टेक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कितना भी स्टेक क्यों न हो, का कर्मचारी, या, निदेशक हो। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह अनुमति दी जाती है कि वे इस उपबंध के अंतर्गत इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों (individuals) को शेयरों की खरीद के लिए विप्रेषण भेजने की अनुमति दे सकते हैं, भले ही योजना के कार्यान्वयन का तरीका कोई भी क्यों न हो अर्थात जहाँ योजना के तहत शेयर जारी करने वाली कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप में या किसी ट्रस्ट/एसपीवी/स्टेप डाउन सहायक कंपनी के मार्फत अप्रत्यक्ष रूप में शेयरों के प्रस्ताव किए जाते हैं, बशर्ते: (i) कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत एकरूप आधार पर वैश्विक रूप से जारीकर्ता कंपनी द्वारा शेयरों का प्रस्ताव दिया जाता है, और (ii) विप्रेषणों/लाभार्थियों, आदि का ब्योरा देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को भारतीय कंपनी द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट (संलग्नक-बी), प्रस्तुत की जाती है।

(2) भारत में निवासी व्यक्ति उपर्युक्तानुसार अधिगृहीत शेयरों को बिक्री द्वारा अंतरित कर सकता है बशर्ते उससे प्राप्त राशि को प्राप्ति के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के अंदर ही प्रत्यावर्तित किया जाए।

(3) विदेशी कंपनियों को किसी कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत भारत में निवासियों को जारी शेयरों की पुनर्खरीद की अनुमति है बशर्ते (i) ये शेयर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बने नियमों/ विनियमों के अनुसार जारी किए गए हों (ii) ये शेयर प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेजों के अनुसार पुनः खरीदे जा रहे हों और (iii) विप्रेषणों/ लाभार्थियों, आदि के ब्योरे देते

हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों के माध्यम से एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जाती हो।

(4) अन्य सभी मामलों में जो सामान्य या विशेष अनुमति के दायरे में नहीं आते हैं, विदेशी प्रतिभूति प्राप्त करने से पहले रिज़र्व बैंक से अनुमति लेनी आवश्यक है।

सी. 2 भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति गिरवी रखना

भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिगृहीत शेयरों को भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/ सार्वजनिक वित्तीय संस्था से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गिरवी रखने की अनुमति है।

सी.3 कुछ मामलों में सामान्य अनुमति

निवासियों को विदेशी प्रतिभूति अधिग्रहण करने की अनुमति है अगर वह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करती हैः-

ए) भारत से बाहर की कंपनी के निदेशक का पद धारण करने के लिए कंपनी जिस देश में स्थित है उस मेजबान देश के कानूनों के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा तक अर्हता शेयर, बशर्ते ऐसे अर्हता शेयरों के अर्जन के समय वे, तत्समय लागू, उस समग्र सीमा के अंदर हों जिसे उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत व्यक्तियों (individuals) के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो;

बी) किसी विदेशी कंपनी (entity) को दी गयी पेशेवर सेवाओं या निदेशक के रूप में प्राप्य पारिश्रमिक के एक भाग/पूरे पारिश्रमिक के बदले शेयरों का अर्जन । मूल्य के अनुसार ऐसे शेयरों के अर्जन हेतु सीमा, ऐसे शयरों के अर्जन के समय, उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत व्यक्तियों (individuals) हेतु लागू विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए;

सी) स्वत्वाधिकार (rights) शेयर बशर्ते तत्समय लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार शेयर धारण करने की हैसियत से स्वत्वाधिकार शेयर जारी किए जा रहे हैं;

डी) भारतीय प्रवर्तक कंपनी के विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयरों की भारतीय प्रवर्तक कंपनी, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्यरत है, के कर्मचारियों/ निदेशकों द्वारा खरीद, जहाँ ऐसे खरीद का प्रतिफल पांच कैलेंडर वर्ष के खंड में प्रति कर्मचारी 10,000 अमरीकी डालर या इसके समतुल्य से अधिक न हो; इस प्रकार अभिगृहीत शेयर भारत के बाहर संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की प्रदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए; और ऐसे शेयरों के आबंटन के बाद भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का उसके कर्मचारियों को आंबटित शेयरों को मिलाकर जो प्रतिशत है वह भारतीय प्रवर्तक कंपनी द्वारा ऐसे आबंटन के पहले धारित शेयरों के प्रतिशत से कम न हो।

ई) ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों सहित निवासी कर्मचारियों द्वारा एडीआर/जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद, बशर्ते पांच कैलेण्डर वर्ष के ब्लॉक में क्रय प्रतिफल 50,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक न हो।

सी.4 निवासी बैंक द्वारा स्विफ्ट के शेयरों का अर्जन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त भारत स्थित बैंक SWIFT की उप-विधियों के अनुसार SWIFT के शेयर अर्जित कर सकता है, बशर्ते ऐसे बैंक को रिज़र्व बैंक द्वारा 'भारत में SWIFT के यूजर ग्रुप' में सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की गयी हो।

भाग II

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

1. **नामित शाखाएं**

भारत से बाहर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करने वाली पात्र भारतीय पार्टी से अपेक्षा है कि वह निवेश से संबंधित सभी लेनदेन अधिसूचना के विनियम 6 के उप-विनियम 2 के खंड (v) के अनुसार उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की केवल एक शाखा के माध्यम से करें। भारतीय पार्टी के भारत से बाहर के निवेशों के संबंध मे रिज़र्व बैंक को भेजे जानेवाले सभी पत्राचार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक की उसी शाखा के माध्यम से किए जाएं जिसे निवेश के लिए भारतीय निवेशक ने नामित किया है। अपने ग्राहकों से प्राप्त अनुरोधों को रिज़र्व बैंक को भेजते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक अनुरोध पत्रों के साथ अपनी टिप्पणी/ सिफारिश भी भेजें। हालांकि, भारतीय निवेशक/ प्रवर्तक उनके द्वारा भारत से बाहर प्रवर्तित विभिन्न संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के लिए विभिन्न प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंकों/ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं को नामित कर सकते हैं। उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बेंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के संबंध में पार्टीवार रिकार्ड रखें।

2. **7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 6 के तहत निवेश**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक किसी समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश करने के लिए भारतीय पार्टी/ पार्टियों से विधिवत भरे हुए फार्म ए-2 के साथ फार्म ओडीआई में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वीकार्य सीमा तक निवेश की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी 2004 के विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों का उन्होंने अनुपालन किया हो। वित्तीय सेवाओं में निवेश के लिए पूर्वोक्त अधिसूचना के विनियम 7 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाए। वित्तीय क्षेत्र में निवेश के संबंध में विप्रेषण की रिपोर्ट भेजते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह प्रमाणित करें कि भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं। विप्रेषण की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडीआई फॉर्म में विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और वे ठीक पाये गये हैं।

3. **सामान्य क्रियाविधिक अनुदेश**

(1) समुद्रपारीय निवेश की रिपोर्टिंग प्रणाली को 01 जून 2007 से संशोधित किया गया है। पहले के सभी फार्मों को एक फार्म अर्थात ओडीआई में शामिल किया गया है जिसके चार भाग हैं :

भाग I - जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

खंड ए - भारतीय पार्टी के ब्योरे

खंड बी - नई परियोजना में निवेश के ब्योरे

खंड सी - वर्तमान परियोना में निवेश के ब्योरे

खंड डी - संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए निधीयन

खंड ई - भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा अपने पास रखी जाए)

खंड एफ- भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक द्वारा अपने रखा जाए)

भाग II - विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

भाग III- वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट

भाग IV- संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के समापन/ विनिवेश/ स्वैच्छिक परिसमापन/ बंद करने की रिपोर्ट

(2) संशोधित फार्म से रिपोर्टिंग प्रक्रिया को केवल कारगर तथा सरल बनाया गया है और वर्तमान पात्रता मानदंडों/ प्रलेखीकरण/ सीमाओं में कोई परिवर्तन अथवा कमी नहीं की गई है।

(3) ओडीआई फॉर्मों की ऑन-लाइन रिपोर्टिंग 2 मार्च 2010 से चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी है। नयी प्रणाली विशिष्ट (युनिक) पहचान संख्या (युआइएन) देने, विप्रेषण/ विप्रेषणों की प्राप्ति सूचना देने तथा वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों (एपीआरएस) की फाइलिंग और संदर्भ के लिए प्राधिकृत व्यापारी स्तर पर आंकड़ों तक पहुंच को सुगम/सहज बनाती है ।

(ए) प्रारंभ में युआइएन के आबंटन, अनुवर्ती विप्रेषणों की रिपोर्टिंग, वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टिंग की फाइलिंग, आदि के लिए समुद्रपारीय निवेश अप्लीकेशन में फॉर्म ओडीआई के भाग । (अनुभाग ए से डी तक), ।। तथा ।।। ऑन-लाइन फाइल किये जाने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक 1 जून 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 68 में निर्धारित किये गये अनुसार कागजी रूप में ओडीआई फॉर्म प्राप्त करना जारी रखेंगे, जिसे यदि विशेष रूप से आवश्यक हो तो (आगे) रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए युआइएन-वार परिरक्षित किया जाना चाहिए। म्युच्युअल फंडों, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) तथा कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (इएसओपीएस) के संबंध में लेनदेन समुद्रपारीय निवेश अप्लीकेशन में ऑन-लाइन रिपोर्ट किये जाने आवश्यक हैं।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों के केंद्रीकृत इकाई/ नोडल कार्यालय द्वारा ऑन-लाइन रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। समुद्रपारीय निवेश अप्लीकेशन रिज़र्व बैंक की सुरक्षित इंटरनेट वेब-साइट (एसआइडब्ल्यू) https://secweb.rbi.org.in पर उपलब्ध है तथा वेब-साइट के मुख्य पृष्ठ पर अप्लीकेशन के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक ऑन-लाइन सूचित की गयी सूचना की वैधता के लिए जिम्मेदार होंगे।

(सी) अनुमोदन मार्ग के तहत समुद्रपारीय निवेश के लिए आवेदनपत्र, अनुमोदन प्रयोजनों के लिए उल्लेखानुसार की गयी अपेक्षा के तहत भाग । में ऑन-लाइन रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, पहले की तरह कागजी फॉर्म में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(डी) 27 मार्च 2006 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 29 के अनुसार स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विनिवेश/ बंद करने/ समापन/ स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ओडीआई फार्म के भाग IV में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते

रहें। विनिवेश के अन्य सभी मामलों में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ आवेदन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ई) नयी रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत युआइएन ऑन-लाइन प्राप्त कर सकेंगे । तथापि, स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत आगे के अनुवर्ती विप्रेषण और अनुमोदन मार्ग के तहत विप्रेषण रिज़र्व बैंक से आटो जनरटेड ई-मेल की प्राप्ति तथा युआइएन की पुष्टि के बाद ही भाग ।। में किये जाने तथा रिपोर्ट किये जाने चाहिए।

(4) एक से अधिक भारतीय पार्टीयों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निवेश के मामले में फॉर्म ओडीआइ सभी निवेशकर्ता पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हो और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी –I प्रत्येक पार्टी के ब्योरे देते हुए समेकित ओडीआई फार्म प्रस्तुत करें। जहाँ अधिसूचना के विनियम 6(5) के अनुसार भारतीय पार्टियों के एडीआर/जीडीआर निर्गमों की प्राप्तियों में से निवेश किया गया हो वहां भी यही प्रक्रिया अपनायी जाए। समुद्रपारीय परियोजना को रिज़र्व बैंक मात्र एक युनिक पहचान संख्या आबंटित करेगा।

(5) यह सुनिश्चित करने के बाद कि संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में भारतीय पार्टी का ईक्विटी स्टेक है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विदेश के संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को ऋण के लिए विप्रेषण और/ अथवा विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं को/की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, उपर्युक्त पैरा बी 1 (3) (ए) में जैसा सूचित किया गया है, जहाँ मेजबान देश के कानून भारतीय पार्टी द्वारा बिना ईक्विटी सहभागिता के कंपनी के गठन की अनुमति देते हैं, प्राधिकृत व्यापारी बैंक समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था को/की ओर से ऋण/गारंटी जारी करने के संबंध में विप्रेषण अनुमत करने से पहले रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर सकते हैं ।

4. 7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 11 के तहत निवेश

अधिसूचना के विनियम 11 के अनुसार भारतीय पार्टियों को विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निर्यात अथवा अन्य प्राप्यों/ हकदारियों जैसे, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क आदि के पूंजीकरण के जरिए प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलें में भी भारतीय पार्टियों को फार्म ओडीआई में पूंजीकरण के पूरे ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक की नामित शाखा को प्रस्तुत करने चाहिए। विनियम 6 के अनुसार निर्धारित वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा की गणना करते समय पूंजीकरण के जरिए किए जाने वाले ऐसे निवेशों को भी गणना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, जहाँ विनियम 11 के उपबंधों के अनुसार निर्यात प्राप्तियों का पूंजीकरण किया जा रहा हो, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विनियम 12(2) के अधीन अपेक्षित बीजक की सीमाशुल्क प्रमाणित प्रति प्राप्त करना होगा और उसे संशोधित ओडीआई फार्म के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना होगा। अतिदेय निर्यात प्राप्तियों अथवा अन्य हकदारियों के पूंजीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होगी, जिनके लिए

भारतीय पार्टियां ओडीआई फार्म में आवेदन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

5. **विशिष्ट(युनिक) पहचान संख्या का आबंटन**

विदेश में प्रत्येक संयुक्त उद्यम/ पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में उद्धृत करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समुद्रपारीय परियोजना को आवश्यक पहचान संख्या आबंटित करने के बाद ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक विनियम 6 के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा स्थापित वर्तमान विदेशी प्रतिष्ठान में अतिरिक्त निवेश के लिए अनुमति दे सकते हैं।

6. **शेयर स्वैप के माध्यम से निवेश**

शेयर स्वैप के रूप में निवेश के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को चाहिए कि वे प्राप्त/ आबंटित शेयरों की संख्या, अदा किया गया/ प्राप्त प्रीमियम, अदा की गयी/ प्राप्त दलाली, जैसे लेनदेनों के ब्योरे, अतिरिक्त रूप में, रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें और इस आशय की पुष्टि करें कि लेनदेनों का आवक चरण एफआईपीबी द्वारा अनुमोदित किया गया है, मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और विदेशी कंपनियों के शेयर भारतीय निवेशक कंपनियों के नाम में जारी/अंतरित किए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक आवेदकों से इस आशय का वचनपत्र भी प्राप्त करें कि भारतीय कंपनी में अनिवासियों द्वारा इस प्रकार अधिगृहीत शेयरों की भावी बिक्री/अंतरण, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

7. **7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी के विनियम 9 के अंतर्गत निवेश**

विनियम 9 के अनुसार कुछ मामलों में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन विशेष अनुमोदनों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक विप्रेषणों की अनुमति दें और उक्त विप्रेषणों की रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, पांचवीं मंजिल, मुंबई 400 001 को फार्म ओडीआई में दें।

8. **एडीआर/जीडीआर संबद्ध स्टॉक विकल्प (आप्शन) योजना के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जारीकर्ता कंपनी ने सेबी/ सरकार के संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया है, एडीआर/जीडीआर संबद्ध कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत ज्ञान आधारित क्षेत्रगत विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, पांच कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में 50,000 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य राशि तक के विप्रेषण कर सकते हैं।

9. **बयाना राशि जमा करने अथवा बोली बॉण्ड गारंटी जारी करने के लिए विप्रेषण**

(i) अधिसूचना के विनियम 14 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विनियम 6 के तहत निवेश

के लिए पात्र भारतीय पार्टी द्वारा संपर्क किए जाने पर बयाना रकम जमा (ईएमडी) के लिए विधिवत् भरा हुआ फार्म ए2 प्राप्त करने के बाद पात्र सीमा तक प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं अथवा बोली लगाने अथवा भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के अधिग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया में सहभागिता हेतु उनकी ओर से बोली बॉण्ड गारंटी जारी कर सकते हैं। बोली जीतने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक विधिवत भरा हुआ फार्म ए2 प्राप्त करने के बाद अधिग्रहण मूल्य का विप्रेषण कर सकते हैं और ऐसे विप्रेषण की रिपोर्ट (बयाना के लिए शुरू में प्रेषित रकम को शामिल करके) फॉर्म ओडीआई में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन,पांचवीं मंजिल, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक बयाने की रकम जमा करने हेतु विप्रेषण की अनुमति देते समय भारतीय पार्टी को सूचित करें कि यदि वे बोली में सफल न हुए तो वे यह सुनिश्चित करें कि विप्रेषण की राशि, समय- समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 (देखें 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 9/2000-आरबी) के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।

(ii) जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली/ निविदा में सफल हो जाती है परंतु निवेश न करने का निर्णय करती है तो ऐसे मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक बयाने की रकम जमा करने हेतु दी गई अनुमति/लागू की गई बोली बाण्ड गारंटी के ब्योरे फार्म ओडीआई में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन,पांचवीं मंजिल, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करे।

(iii) जहाँ कोई भारतीय पार्टी बोली में सफल हो जाती है परंतु भारत से बाहर किसी कंपनी के अधिग्रहण के नियम और शर्तें भाग I में दी गई विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं अथवा जिसके लिए उप विनियम (3) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त किया गया, उससे भिन्न हैं तो भारतीय पार्टी फार्म ओडीआई प्रस्तुत करके रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें।

10. भारत के बाहर संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों के शेयरों का बिक्री के माध्यम से अंतरण

भारतीय पार्टी उपर्युक्त पैरा 3(3)(सी) में दिए गए अनुसार फार्म ओडीआई के भाग IV में विनिवेश के 30 दिनों के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक के माध्यम से विनिवेश के ब्योरे रिपोर्ट करे। शेयरों/ प्रतिभूतियों से प्राप्त बिक्री आय, उसकी प्राप्ति के बाद अविलंब तथा किसी भी स्थिति में शेयरों/ प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से 90 दिनों के अंदर भारत प्रत्यावर्तित की जाएगी।

11. निवेश के सबूत का सत्यापन

शेयर प्रमाणपत्र अथवा निवेश के सबूत के तौर पर अन्य कोई दस्तावेज, जहां पर शेयर प्रमाणपत्र जारी नही किये जाते हों, इसके बाद से, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत किये जायें और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा अपने पास रखे जायें जिसे ऐसे निवेशों की प्राप्ति पर निगरानी रखनी होगी तथा उसे इस बात से संतुष्ट होना होगा कि इस प्रकार प्राप्त दस्तावेज सही

और वास्तविक हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट(एपीआर) [फॉर्मओडीआई के भाग III] के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

12. **भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलना**

जहां कहीं, किसी मेजबान देश की विनियमावली यह विनिर्दिष्ट करती हो कि उस देश में निवेश किसी नामित खाते के मार्फत किए जाएं, वहां भारतीय पार्टी को समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए 2 अप्रैल 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 101 में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के तहत विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, रखने और उसे बनाए रखने की अनुमति है।

संलग्नक -ए

फार्म ओडीआई

भाग I

<u>केवल कार्यालय के उपयोग के लिए</u>

प्राप्ति की तारीख. . . . .

आवक सं. . . . .

<u>खण्ड ए : भारतीय पार्टी के ब्योरे</u>

(I) निम्नलिखित के अंतर्गत निवेश

(i) स्वतः अनुमोदित मार्ग अनुमोदन मार्ग

(अगर एक से ज्यादा भारतीय पार्टी हों तो प्रत्येक पार्टी के लिए अलग शीट पर सूचना दी जाए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम

(III) भारतीय पार्टी का पता

शहर राज्य

(IV) व्यक्ति जिससे संपर्क करना है

टेलीफोन सं. फैक्स

ई-मेल

(V) भारतीय पार्टी की हैसियत: (कृपया पात्र /सही श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(3) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (4) पंजीकृत भागीदारी फर्म

(5) स्वामित्व(proprietorship) (6) गैर-पंजीकृत भागीदारी फर्म

(7) ट्रस्ट (8) सोसायटी

(9) अन्य

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट*

*3-डिजिट स्तर का एनआईसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पंजीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आती हो तो नीचे मद VII में ब्योरे दिए जाएं]।

(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे

(रु. 000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अर्जन (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूंजी			
(ए) भारतीय पार्टी			
(बी) कंपनी समूह@ की निवल मालियत			

@ 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII) भारतीय पार्टी और उसके समूह की कंपनियों के मौजूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाएं,जो पहले से परिचालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रही हैं, के ब्योरेः

क्रमांक	भारतीय पार्टी का नाम	रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान सं.
1.		
2.		
3.		

(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (उचित बॉक्स में टिक लगाएं)

(ए) नयी परियोजना है ☐ (कृपया खण्ड बी में ब्योरे दें)

(बी) वर्तमान परियोजना है* ☐ (कृपया खण्ड सी में ब्योरे दें)

*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था में स्टेक का अधिग्रहण।

खण्ड बी : नयी परियोजना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए **विशिष्ट पहचान सं.**												

(I) निवेश का प्रयोजन (कृपया उचित श्रेणी में टिक लगाएं)

(ए) संयुक्त उद्यम में भागीदारी

(बी) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान

(सी) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण:

(डी) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण:

(ई) अनिगमित कंपनी में निवेश :

(एफ) अन्य :

(II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे

(ए) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम

(बी)संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता

(सी) देश का नाम

(डी) ई-मेल

(ई) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का लेखा वर्ष

(III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का
कार्यकलाप कूट : □

(IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था
एसपीवी है? (हां/नहीं) #

अगर हां, तो खण्ड डी में ब्योरे दें

प्रस्तावित पूंजी संरचना

	[ए] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

खण्ड सी: मौजूदा परियोजना में निवेश के ब्योरे

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई 13 अंकों की विशिष्ट पहचान सं. निर्दिष्ट करें												

(I) अनुपूरक निवेश का प्रयोजन (उचित श्रेणी पर टिक करें)

(ए) मौजूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में वृद्धि

(बी) अधिमानी ईक्विटी/परिवर्तनीय कर्ज में वृद्धि

(सी) मौजूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मंजूरी/वृद्धि

(डी) गारंटियों का विस्तार/की वृद्धि

(ई) अनिगमित कंपनी को विप्रेषण

(एफ) अन्य

(II) पूंजी संरचना

	[ए] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[बी] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

भाग डी - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/संस्था के लिए निधीयन

(राशि विदेशी मुद्रा 000 में)

I समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

II भारतीय पाटी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की अनुमानित लागत

III वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू विदेशी मुद्रा में): विदेशी मुद्रा रा

IV भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति/का तरीका

(i) नकदी विप्रेषण

(ए) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा

(बी) बाज़ार खरीद

(ii) निम्नलिखित का पूंजीकरण

(ए) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात

(बी) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

(iii) एडीआर/जीडीआर (समुद्रपारीय उगाही)

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड

(v) शेयरों का स्वैप

(vi) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

कुल ए [भारतीय पार्टी]

V. क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था एसपीवी है (हां/नहीं)

अगर हां, तो एसपीवी का प्रयोजन

i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूजन

iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपारीय उगाही गई निधियां

iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपारीय उगाही गई निधियां

v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमानी ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां

vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन)

vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें)

कुल

VI. गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं

टिप्पणी*: 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/आरबी-2004 के खण्ड 2(एफ) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को अथवा उसकी ओर से जारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

खंड ई : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

(ए) क्या आवेदक पार्टी (पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/ प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन/ अधिनिर्णय की वर्तमान स्थिति/ मामले के निपटान के ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

____

____

(बी) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी (पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्यों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है/हैं अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी (पार्टियों) की स्थिति:

____

____

(सी) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/ अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबधित कोई अन्य सूचना।

____

____

(डी) जहां कहीं लागू है, समय-समय पर यथासंशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 के विनियम 15(iii) के अनुसार अपेक्षित वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के संबंध में प्रस्तुत की गयी हैं।

मैं/ हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर/मुद्रा(**सील**)

स्थान :------------------

दिनांकः --------------------

नाम :--------------------

पदनाम :--------------------

संलग्नकों की सूची :

1.	4.
2.	5.
3.	6.

खण्ड एफ: भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (-------------------------------------) भारतीय पार्टी ने रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 {विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004} में निहित शर्तों का अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(i) निवेश स्थावर संपदा उन्मुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और

(ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/शेयरों का स्वैप/बाह्य वाणिज्यिक उधार से निवेश/स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के विप्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के भीतर है। अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात . . . . ……..को (--) भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में इसका सत्यापन किया गया है।

(iii) निवेश के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों# का अनुपालन किया गया है।

(v) भारतीय पार्टी ने (ए) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (बी) संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (सी) भारत में उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी के पास पंजीकरण किया गया है और (डी) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।*

इसके अलावा, प्रमाणित किया जाता है कि, जहां कहीं लागू है, उक्त अधिसूचना के विनियम 15(iii) के अनुसार अपेक्षित वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के संबंध में प्रस्तुत की गयी हैं।

टिप्पणी : *केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदाहरण बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

{भारतीय पार्टी (कंपनी) के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर}

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

भाग II

विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख ---------

आवक सं. ---------

वर्तमान संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पहचान सं. लिखें :													
नंबर													

(I) भारतीय कंपनी का नाम

(II) क्या, पिछली रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/ नहीं)

अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि विदेशी मुद्रा में, 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी का कोड		विदेशी मुद्रा**	
(ए) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(बी) बाज़ार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(सी) एडीआर/जीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(डी) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	
(ई) भारत में/ भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख
(एफ) निर्यात/ अन्य प्राप्यों का पूंजीकरण @			

पूंजीकरण की तारीखः	राशि :
(जी) जारी की गई गारंटी : दिनांक (नयी/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)	राशि :
वैधता अवधि	

टिप्पणी : ** कृपया एसडब्ल्यूआइएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।

@ कृपया पूंजीकृत किए जा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण
(जो लागू न हो उसे काट दें)

i) भारतीय पार्टी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमति दी गई है;

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की शर्तों के अनुसार है; तथा

iii) इस बात से संतुष्ट होने पर कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/ की ओर से जारी गारंटी की शर्तो के अनुरूप है, इन्वोक्ड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान

दिनांकः

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :
पदनाम :
टेलीफोन सं. :
फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा(सील)

भाग III

वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)

(जब तक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/संस्था अस्तित्व में है, 30 जून को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के संबंध में भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्रमाणित करा कर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से प्रस्तुत की जाए)

I. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की तारीख : _______________

II. विशिष्ट पहचान सं. :

(कृपया भारिबैंक द्वारा जारी 13 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या लिखें)

III. पिछली रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन (राशि विदेशी मुद्रा में)

	राशि (नयी)	प्रतिशत शेयर (नया)
भारतीय		
विदेशी		

IV. पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के परिचालनात्मक ब्योरे

(राशि विदेशी मुद्रा में)

	पिछले वर्ष में	चालू वर्ष में
i) निवल लाभ/ (हानि)		
ii) लाभांश		
iii) निवल मालियत		

V. संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से प्रत्यावर्तन

(राशि विदेशी मुद्रा में)

	.. .. को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान	कारोबार की शुरुआत से
(i) लाभ		
(ii) लाभांश		
(iii) प्रतिधारित अर्जन*		
(iv) भारत में निवेश		
(v) अन्य** (कृपया उल्लेख करें)		

* (संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/संस्था के लाभ के अंश जो प्रतिधारित हैं और जिनका संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में पुनः निवेश किया गया है, को दर्शाता है)

**(रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क, परामर्श शुल्क, आदि)

VI. पिछली रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश

देश	
संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था का नाम	
निवेश की राशि (राशि विदेशी मुद्रा में)	

स्थान : ____________

दिनांकः ____________

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर/ सील

नाम : __________________

पदनाम : ________________

(भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

फर्म का नाम, मुहर और पंजीकरण सं.

नामित प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

भाग IV

संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के बंद होने/ विनिवेश / स्वैच्छिक परिसमापन / समापन पर रिपोर्ट

(नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

(सभी राशि विदेशी मुद्रा में, हज़ारों में)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता : ______________________________

प्राधिकृत व्यापारी कूट : ______________________

रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट(युनिक) पहचान संख्या

क्या वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है? | हां | नहीं |

पिछले वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट से संबंधित अवधि और प्रस्तुति की तारीख :___________

निवेश के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विप्रेषण के ब्योरे

ईक्विटी	ऋण	मांगी गई(invoked) गारंटियां

पिछली वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के बाद पूंजी संरचना में परिवर्तन

ईक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां

विनिवेश पर प्रत्यावर्तित राशि

ईक्विटी	ऋण

यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें)

I. (ए) बिक्री ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है जहां समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के शेयर सूचीबद्ध हैं;

(बी) अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और शेयरों का विनिवेश निजी व्यवस्था द्वारा किया गया है, तो शेयर की कीमत, सनदी लेखापरीक्षकों / प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के आखिरी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित शेयरों के प्रमाणित उचित मूल्य से कम नहीं है;

(सी) भारतीय पार्टी का संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था से लाभांश, तकनीकी जानकारी फी, रॉयल्टी, परामर्श सेवा, कमीशन अथवा अन्य पात्रताओं और / अथवा निर्यात प्राप्तियों के तौर पर कोई बकाया प्राप्य नहीं है;

(डी) समुद्रपारीय संस्था कम-से-कम एक वर्ष के लिए परिचालन में रही है और उस वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे के साथ वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई है;

(ई) भारतीय पार्टी केन्द्रीय जांच ब्यूरो / प्रवर्तन निदेशालय / सेबी / बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारत में किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जांच के अधीन नहीं है।

स्थान :

दिनांक : (बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन सं. :

फैक्स सं. :

मुहर/मुद्रा(सील)

फार्म ओडीआई भरने के लिए अनुदेश

(इस भाग को अलग कर आवेदक अपने पास रखें)

फार्मों का यह सेट भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी निवेश से संबंधित बुनियादी सूचनाओं को एक स्थान पर इकट्ठा करने का प्रयास है (समय-समय पर यथासंशोधित 07 जुलाई, 2004 की अधिसूचना फेमा सं.120/आरबी - 2004 में यथा परिभाषित)।

- भाग I में संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं, भारतीय पार्टियों और समुद्रपारीय कंपनियों की वित्तपोषण पद्धति(प्रणाली) के ब्योरे शामिल है।
- भाग II में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणित विप्रेषणों की रिपोर्टिंग है।
- भाग III वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट है, जिसमें समुद्रपारीय कंपनी(यों) के कार्य निष्पादन के संक्षिप्त ब्योरे दिए गए हैं और ,
- भाग IV का उपयोग विनिवेश / परिसमापन / समापन के समय किया जाता है।

भाग I का खंड 'डी' विवेचनात्मक है क्योंकि यहां स्वामित्व के स्वरूप और वित्तीय पद्धति के संबंध में सूचनाओं को शामिल किया गया है । भारत से विप्रेषण के ब्योरों के अतिरिक्त, एसपीवी / विदेशी अनुषंगियों, विदेशी साझेदारों के शेयरों, आदि के माध्यम से निधीयन के पूर्ण ब्योरे भाग I में अवश्य रिपोर्ट किए जाएं।

(1) स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में निवेश करने की इच्छुक भारतीय पार्टियां फार्म का भाग I (खंड सी को छोड़कर) भरें और उसे नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक को प्रस्तुत करें। जब कभी , प्रारंभिक प्रेषण / अनुमोदन के समय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय संरचना में विस्तार,विलयन, अतिरिक्त पूंजी की वृद्धि आदि के रूप में परिवर्तन होता है तो, भाग I (खंड सी और डी) भरना आवश्क है।

(2) स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत, नए प्रस्तावों के मामलों में, विप्रेषण के तत्काल बाद, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक भाग I के साथ फार्म का भाग II, विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, (ओआईडी), अमर बिल्डिंग, मुंबई-400001 को भेजें।

(3) अनुमोदन मार्ग के तहत, जांच के बाद, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक अपनी सिफारिशों के साथ फार्म का भाग I उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। यदि अनुमोदन मिलेगा, तो फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को लौटा दिया जाएगा जिसे विप्रेषण के तत्काल बाद फार्म के भाग II सहित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को अविलंब पुन: प्रस्तुत करें।

(4) अनुपूरक विप्रेषणों के मामलों में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म का केवल भाग II रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। तथापि, प्रारंभिक निवेश के समय की गई रिपोर्टिंग के बाद, यदि संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की प्रारंभिक पूंजी अथवा वित्तीय संरचना आदि में परिवर्तन हुआ हो, तो फार्म के भाग II के साथ भाग I (खंड ए और बी को छोड़कर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(5) एक ही संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था में एक से अधिक भारतीय प्रर्वतकों के निवेश के मामले में, संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था के लिए, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक एकल फार्मेट में, प्रत्येक ऐसे प्रवर्तक के ब्योरे प्रस्तुत करे।

(6) जब तक जेवी/डब्ल्युओएस अस्तित्व में रहे, 30 जून को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (भाग III) नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत की जाए।

(7) विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपए में समस्त राशियां केवल **वास्तविक** रूप में दर्शाई जाएं।

(8) जब संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था बंद होती है/का समापन /विनिवेश / परिसमापन आदि होता है तो विनिवेश के 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना भाग IV में उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाए।

(9) रिज़र्व बैंक प्रस्तुत की गयी सूचना को पब्लिक डोमेन में डालने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भाग I के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(ए) सील बंद / बंद कवर में भारतीय पार्टी के बैंकरों से प्राप्त एक रिपोर्ट;
(बी) भारतीय पार्टी का वार्षिक लेखा अर्थात तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट सहित;
(सी) यदि वर्तमान विदेशी कंपनी के आंशिक/पूर्णत: टेकओवर के लिए आवेदन है तो निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएं:

(i) विदेशी कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति;
(ii) विदेशी कंपनी का वार्षिक लेखा अर्थात तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट सहित और
(iii) निम्नलिखित से प्राप्त शेयर मूल्यांकन की एक प्रति:

- सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी I मर्चेंट बैंकर अथवा मेज़बान देश में उचित प्राधिकरण के पास पंजीकृत निवेशक बैंकर/मर्चेंट बैंकर, जहां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डालर (पांच मिलियन अमरीकी डालर) से अधिक है; और
- अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा प्रमाणित लोक लेखाकार ;

(डी) प्रस्तावित निवेश का अनुमोदन करने वाली भारतीय पार्टी/पार्टियों के निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति।

(ई) जहां निवेश वित्तीय सेवा क्षेत्र में है तो, सांविधिक लेखापरीक्षक / सनदी लेखाकार से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भारतीय पार्टी:

(i) ने वित्तीय सेवा कार्यकलाप से पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया है ;

(ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप के लिए भारत में उचित विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत है;

(iii) भारत और विदेश स्थित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से विदेश में वित्तीय सेवा कार्यकलाप में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है;

(iv) भारत में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा किया है ।

<u>समुद्रपारीय निवेश - स्वामित्व प्रतिष्ठान / गैर-पंजीकृत साझेदारी फर्म</u>

पात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान / गैर-पंजीकृत साझेदारी फर्म, 27 मार्च 2006 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 29 के पैरा 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ ओडीआई फार्म के भाग I में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 400001 को आवेदन करें।

संलग्नक-बी

कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना की रिपोर्टिंग

-------मार्च------- को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकप योजना के तहत भारतीय कर्मचारियों / निदेशकों को आबंटित शेयरों का विवरण (भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा के लेटर हेड पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स . . . . . . (भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

ए) मेसर्स . . . . (विदेशी कंपनी) ने वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों को . . . . . . निम्नानुसार शेयर जारी किए हैं :-

(i) आबंटित शेयरों की संख्या :

(ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर स्वीकार किया है:

(iii) बाह्य विप्रेषण की राशि (विदेशी मुद्रा और समतुल्य भारतीय रुपये, दोनों में):

बी) 31 मार्च____ को भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स . . . . की प्रभावी धारिता (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)---------% है और

सी) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

सेवा में-
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पांचवीं मंजिल
सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400 001.

संलग्नक-सी

कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना रिपोर्टिंग

---- मार्च ---------को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजनाओं के तहत भारतीय कर्मचारियों/निदेशकों से जारीकर्ता विदेशी कंपनी द्वारा पुनः खरीदे गए शेयरों का विवरण (उनके प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से कंपनी/कार्यालय/शाखा के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

हम, मेसर्स . . . .(भारतीय कंपनी/कार्यालय/शाखा) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

ए) मेसर्स . . . . (विदेशी कंपनी) ने वर्ष के दौरान कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत हमारे कर्मचारियों/निदेशकों को जारी ____________ शेयरों की पुनः खरीद की है,

(i) आबंटित शेयरों की संख्या :

(ii) कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या जिन्होंने शेयर बेचे हैं :

(iii) आवक विप्रेषण की राशि (विदेशी मुद्रा और समतुल्य भारतीय रुपये, दोनों में) :

बी) 31 मार्च______ के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी कंपनी मेसर्स . . . . की प्रभावी धारिता (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)------% है और

सी) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दिनांक :

सेवा में-
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
समुद्रपारीय निवेश प्रभाग
केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, पांचवीं मंजिल
सर पी.एम. रोड, फोर्ट,
मुंबई 400 001.

संलग्नक - डी

"अनुसूची V [मास्टर परिपत्र का पैरा बी.19 तथा अधिसूचना का विनियम 20 ए देखें]

ए. <u>निवासी व्यक्तियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यकृष निवेश</u>

1. निवासी व्यक्ति द्वारा रियल इस्टेट कारोबार अथवा बैंकिंग कारोबार अथवा वित्तीय सेवा गतिविधियों के कारोबार में संलग्न समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध है।
2. समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी किसी सद्भावी/निष्कपट कारोबारी गतिविधि में संलग्न हो।
3. निवासी व्यक्ति द्वारा उस संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध है [जो किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा अन्य निवासी व्यक्तियों और/अथवा भारतीय पार्टी के साथ मिलकर विदेश में स्थापित/अधिग्रहीत की गई है] जो ऐसे देश अथवा क्षेत्र में स्थित है जिसे एफएटीएफ द्वारा गैर-सहयोगी के रूप में चिहि्नत किया गया है जो एफएटीएफ की वेबसाइट www.fataf-gafi.org पर उपलब्ध है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित है।
4. ऐसा निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की निर्यातकों संबंधी सतर्कता सूची अथवा बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में नहीं होना चाहिए अथवा किसी जांच/प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक संस्था (body) द्वारा जांच के अधीन न हो।
5. निवेश के समय अनुमत उच्चतम सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, निवासी व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।
   [स्पष्टीकरण: ईईएफसी/आरएफसी खाते में जमाशेष से किए गए निवेश भी उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा तक सीमित होंगे।]
6. इस अनुसूची के अंतर्गत निवासी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहीत/स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी <u>केवल</u> आपरेटिंग संस्था (एंटिटी) होगी और संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किसी स्टेप डाउन सहायक कंपनी को अधिग्रहीत अथवा स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
7. इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश के प्रयोजन हेतु मूल्यांकन अधिसूचना के विनियम 6(6)(ए) के अनुसार किए जाएंगे।
8. इस अधिसूचना के विनियम 20ए के साथ पठित विनियम 2(ई) में यथापरिभाषित समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश से भिन्न किसी अन्य प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धता संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के प्रति/की ओर से की जानी प्रतिबंधित है।

बी. <u>निवेशोत्तर परिवर्तन</u>

अधिसूचना के विनियम 15 के अनुसार, संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की शेयरधारिता में हुए किसी परिवर्तन को 30 दिनों के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट किया जाए, साथ ही उसे वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट में भी शामिल किया जाए।

सी. निवासी व्यक्तियों द्वारा विनिवेश

1. कोई निवासी व्यक्ति जिसने इस अनुसूची के उपबंधों के तहत कोई संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अधिग्रहीत/स्थापित की है, वह अंतरण/बिक्री के मार्फत (अंशत:/पूर्णत:) अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के परिसमापन/विलयन के द्वारा उसका विनिवेश कर सकता है।
2. किसी निवासी व्यक्ति को समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना/अधिग्रहण हेतु प्रथम विप्रेषण करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर उसके विनिवेश की अनुमति दी जा सकती है।
3. विनिवेश से प्राप्त राशि तुरंत और हर हालत में विनिवेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारत प्रत्यावर्तित की जाएगी और उसे नामित प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट किया जाएगा।
4. विनिवेश के मामले में निवासी व्यक्ति द्वारा उसे बट्टे खाते डालने की अनुमति नहीं होगी।

डी. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

1. इस अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने वाला निवासी व्यक्ति विप्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर, विधिवत पूर्ण, फार्म ओडीआई का भाग I नामित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करेगा।
2. निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश को विप्रेषण की तारीख से 30 दिनों के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी फार्म ओडीआई के भाग I और II में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा।
3. इस अनुसूची के उपबंधों के तहत संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित/अधिग्रहीत करने वाले निवासी व्यक्तियों पर भी अधिसूचना के विनियम 15 के अनुसार अपेक्षित उत्तरदायित्व लागू होंगे।
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए विनिवेश/शों को नामित प्राधिकृत व्यापारी फार्म ओडीआई के भाग IV में विनिवेश राशि प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा।"

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

विदेश में संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश

अधिसूचनाएं

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	फेमा 120/आरबी-2004	07 जुलाई 2004
2	फेमा 132/2005-आरबी	31 मार्च 2005
3	फेमा 135/2005-आरबी	17 मई 2005
4	फेमा 139/2005-आरबी	11 अगस्त 2005
5	फेमा 150/2006-आरबी	21 अगस्त 2006
6	फेमा 164/2007-आरबी	9 अक्तूबर 2007
7.	फेमा 173/2007-आरबी	19 दिसंबर 2007
8.	फेमा 180/2008-आरबी	5 सितंबर 2008
9.	फेमा 181/2008-आरबी	01 अक्तूबर 2008
10.	फेमा 184/2009-आरबी	20 जनवरी 2009
11.	फेमा 188/2009-आरबी	03 फरवरी 2009
12.	फेमा 196/2009-आरबी	28 जुलाई 2009
13.	फेमा 225/2012-आरबी	07 मार्च 2012
14	फेमा 231/2012-आरबी	30 मई 2012
15.	फेमा 249/आरबी-2012	22 नवंबर 2012
16.	फेमा 263/आरबी-2013	05 मार्च 2013
17.	फेमा 271/आरबी-2013	19 मार्च 2013
18.	फेमा 277/2013-आरबी	08 मई 2013
19.	फेमा 283/आरबी-2013	14 अगस्त 2013
20.	फेमा 299/आरबी-2014	24 मार्च 2014

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक
1	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	01 अक्तूबर 2004
2	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	09 फरवरी 2005

3	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	12 मई 2005
4	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	29 अगस्त 2005
5	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	27 मार्च 2006
6	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	05 अप्रैल 2006
7	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3	03 जुलाई 2006
8	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	06 सितंबर 2006
9	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	16 नवंबर 2006
10	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	20 अप्रैल 2007
11	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	30 अप्रैल 2007
12	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50	04 मई 2007
13	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	08 मई 2007
14	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	01 जून 2007
15	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.72	08 जून 2007
16	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	14 जून 2007
17	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	19 जून 2007
18	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	26 सितंबर 2007
19	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	26 सितंबर 2007
20	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	03 अप्रैल 2008
21	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	03 जून 2008
22	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	27 जून 2008
23	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	13 अगस्त 2008
24	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	05 सितंबर 2008
25	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36	24 फरवरी 2010
26	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	01 अप्रैल 2010
27	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	27 मई 2011
28	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	29 जून 2011
29	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.96	28 मार्च 2012
30	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.97	28 मार्च 2012
31	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.101	02 अप्रैल 2012
32	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.131	31 मई 2012
33	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 15	31 अगस्त 2012
34	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 25	07 सितंबर 2012

35	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 29	12 सितंबर 2012
36	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 99	23 अप्रैल 2013
37	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 100	25 अप्रैल 2013
38	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 8	11 जुलाई 2013
39	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 23	14 अगस्त 2013
40	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 24	14 अगस्त 2013
41	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 30	04 सितंबर 2013
42	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 41	10 सितंबर 2013
43	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.83	3 जनवरी 2014
44	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.131	19 मई 2014
45	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	3 जुलाई 2014